

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 2018/फाल्गुन 5, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 452
No. 48] DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 2018/ PHALGUNA 5, 1939 [N.C.T.D. No. 452

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं.फा. 3(16)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/91.—दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल एतद्वारा वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 03(16)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/359 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. उपरोक्त अधिसूचना में, अधिकारियों की सूची में "(4) संयुक्त आयुक्त, राज्य कर" शब्दों एवं अंकों के पश्चात् "(4क) उपायुक्त, राज्य कर" शब्दों एवं अंकों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

यह अधिसूचना तत्काल से प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd February, 2018

No. F. 3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/91.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, do hereby makes the following amendment in the notification No. F. 3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/359 dated 30th June, 2017 of the Finance Department, Government of the National Capital Territory of Delhi, namely:-

AMENDMENT

1. In the aforesaid notification, in the list of officers, after the words and figures “(4) Joint Commissioners of State Tax”, the words and figures “(4A) Deputy Commissioners of State Tax” shall be inserted.

This Notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 4/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(86)/वित्त(राज-1)/2017-18/डीएस-VI/92.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में किसी मास/तिमाही के लिए जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त ब्यौरे देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 4/2018-State Tax

No. F. 3(86)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/92.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the details of outward supplies for any month/quarter in **FORM GSTR-1** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where there are no outward supplies in any month/quarter, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said details by the due date under section 47 of the